



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



प्रेषिति-

श्री सुनील कुमार जैन, (I.A.S),
नामित खान मालिक,
बरिमा बॉक्साइट खान,
सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट
कार्पोरेशन लि0, सेक्टर 24, ब्लॉक नंबर 7ए,
तीसरी मंजिल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर,
छत्तीसगढ़-492015,
ईमेल- cmdcraipur@gmail.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित आपके बरिमा बॉक्साइट खान, 54.268 हैक्टर (खान कोड- 07CHG16010) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियमों के उल्लंघन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 28.03.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा आभासी निरीक्षण (Virtual Inspection based on the Digital Aerial Images i.e. Drone Survey Images submitted by the lessee in the online Drone Data Management System portal for the year 2023-24) करने के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, during virtual inspection of the aforesaid mine, it is observed that mining operations have not been carried out in accordance with the Review of Mining Plan (RMP) approved on dated 26/04/2019 to the extent indicated below: - i. Mining activities observed carried out in the Safety Zone of 7.5 meters between pillar no. BP-01 to BP-50 in Block-A and between pillar no. BP-130 to BP-137 in Block-B of the ML area; without such proposal in the approved Review of Mining Plan. ii. Mining lease boundary pillars as shown over the surface plan and other plans in the approved Review of Mining Plan are not observed posted/maintained at the site.
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2023-24 along with the Annual Returns in the online portal.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने

पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इस पत्र के जारी होने के 45 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।

संलग्नक -Digital Aerial Images (Drone Survey)

भवदीय,

प्रशान्त कुमार साहू
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ:- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़ से अनुरोध है की सीमा स्तंभों का स्थापना एवं सत्यापन सुनिश्चित करें । ईमेल- dgm.cg@nic.in
3. खान एजेंट / खान प्रबंधक, बरिमा बॉक्सइट खान, सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, सेक्टर 24, ब्लॉक नंबर 7ए, तीसरी मंजिल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492015 ।
ईमेल- cmdcambikapur@gmail.com

हस्ता/-
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

Digital Aerial Images

- ML Boundary
- 7.5 Mt. Safety Zone

